

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक :- एफ 20(101/127/20)लोसू/निकाशि/2005/ 496 दिनांक:- 12-3-2020

लोक सूचना अधिकारी एवं प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय (विधि महाविद्यालयों सहित),
राजस्थान।

विषय:-सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 25 के अन्तर्गत वर्ष 2019 की सूचना उपलब्ध कराने के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में सचिव, राजस्थान सूचना आयोग, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 20-1-2020 के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25 के अन्तर्गत वर्ष 2019 (1 जनवरी, 2019 से 31 दिसम्बर, 2019 तक) की वार्षिक रिपोर्ट निम्नलिखित प्रारूप-1 व प्रारूप-2 में भरकर राजस्थान सूचना आयोग को दिनांक 31-1-2020 तक भिजवाई जानी है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि दोनों प्रारूप की सूचना 07 दिवस में तैयार कर डा. के.एल. सिराधना, राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक, प्रशासन (समन्वयक) कॉलेज शिक्षा, ब्लॉक-4, शिक्षा संकुल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302015 के पते पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से इस विभाग को भिजवायें।

लोक सूचना अधिकारी एवं प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय,.....
प्रारूप-1

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (1) के तहत निस्तारित आवेदन (समयावधि दिनांक 1 जनवरी, 2019 से 31 दिसम्बर, 2019 तक) समयावधि वर्ष 2019

राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्राप्त आवेदन (संख्या)			सूचना दी गई (संख्या)		अस्वीकृत	लम्बित	प्राप्त राशि (रूपयों में)
कुल	जिला मुख्यालय पर	अन्य	समयावधि में	समयावधि पश्चात्			
1	2	3	4	5	6	7	8

नोट : कॉलम 1=2+3 एवं कॉलम 4+5+6+7=1

प्रारूप-2

सूचना का अधिकार एक्ट के तहत निस्तारित सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19 (1) के तहत प्रथम अपीलों का निस्तारण (समयावधि दिनांक 1 जनवरी, 2019 से 31 दिसम्बर, 2019 तक) समयावधि सत्र 2019

कुल प्राप्त अपीलें (संख्या)	निस्तारित		लम्बित संख्या
	स्वीकृत	अस्वीकृत	
1	2	3	4

नोट : कॉलम 1=2+3+4

(प्रदीप कुमार बोस)
आयुक्त

क्रमांक :- एफ 20(101/127/20)लोसू/आकाशि/2005/ 496-499 दिनांक:- 12-3-2020

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- सचिव, राजस्थान सूचना आयोग, ओ.टी.एस. परिसर, झालाना लिंक रोड़, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302017 को उनके पत्रांक प. 3(1)रा.सू.आ./वा.प्रति./2020/127 दिनांक 20-1-2020 के संदर्भ में
- राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प. 5(1)शिक्षा-3/2015 पार्ट दिनांक 31-1-2020 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।
- विभागीय वेबसाईट प्रभारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र को वेबसाईट पर अपलोड करें।

(डा. के.एल. सिराधना)
12/3/2020

SPIO एवं संयुक्त निदेशक, प्रशासन समन्वयक
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।